न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–सागर

I/अपील/सागर/भू.रा./2018/01978

1 नत्थू पुत्र स्व. सुकई सौंर
2 सिरदार बाई बेवा सुकई सौंर
निवासीगण – ग्राम सापट तहसील व जिला – सागर (म.प्र.)
3 श्रीमती मीरा बाई बेवा स्व. हजारी सौंर
4 मुन्नीबाई नाबालिग पुत्री स्व. हजारी सौंर द्वारा बलि माँ मीरा बाई पत्नी स्व. हजारी सौंर
निवासी – ग्राम करहद तहसील व जिला – सागर (म.प्र.)

–– अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – सागर (म.प्र.)

–– प्रत्यर्थी

<u>न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 380/अ–21/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।</u>

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

1 यहकि, अपीलार्थीगण नत्थू पिता सुकई सौंर, सिरदार बाई बेवा सुकई सौंर दोनो निवासी सपाट तहसील व जिला सागर तहसील व जिला सागर एवं श्रीमती मीरा बाई बेवा स्व. हजारी सौंर बलि माँ मीरा बाई पत्नी हजारी सौंर निवासी करहद तहसील जैसीनगर जिला सागर द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की मालिकी ग्राम बेरखेरी खुर्द पटवारी हल्का नं. 48 स्थित खानदानी भूमि खसरा नं. 8 एवं 59 रकवा क्रमशः 0.41 एवं 0.22 है0 कुल 0.63 है0 स्थित है। अपीलार्थीगण क्रमांक 3 मीरा बाई की पति की मुत्यु दिनांक 28.10.1998 को हो गयी है पति हजारी मुत्यु के उपरान्त वह ग्राम करहद निवासी इमरत पुत्र बूठे सौंर के साथ दूसरी शादी कर ग्राम करहद चली गयी है। इमरत से उनकी पांच

XXXIX(a)BR(H)-11 -2-

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/सागर/भू0रा0/2018/01978

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 380/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-3-2017 के के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि मौजा बेरखेरीखुर्द प0ह0नं0 48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नं0 8, 59 रकबा 0.41, 0.22 हैक्टर कुल रकबा 0.63 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किये जाने हेतु जिलाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30-12-15 द्वारा यह मानते हुए कि प्रकरण में जो जमीन है वह निर्धारित क्षेत्रफल से काफी कम है और यदि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ. के हस्ताक्षर

जाती है तो वह भूमिहीन हो जायेगा और उसे जीवन यापन में कठिनाई होगी । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3- अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि प्रकरण में जो जमीन है वह निर्धारित क्षेत्रफल से काफी कम है और यदि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है तो वह भूमिहीन हो जायेगा और उसे जीवन यापन में कठिनाई होगी । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 बेरखेरी खुर्द में निवास न करते हुए ग्राम सापट में निवास करते हैं और वे ग्राम सापट में अन्य भूमि क्रय करेंगे । अपीलार्थीगण के अनुसार उनके पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी पूर्व से उपलब्ध है जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा भी भूमि विक्रय की अनुशंसा की गई है । चूंकि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि वे जितनी भूमि विक्रय कर रहे हैं उसे अधिक भूमि व क्रय करेंगे । आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/सागर/भू0रा0/2018/01978

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा बेरखेरी खुर्द प0ह0नं0 48 तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नं0 8, 59 रकबा 0.41, 0.22 हैक्टर कुल रकबा 0.63 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	